

बण्डा परियोजना में प्रभावित वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु हस्तांतरित गैर वनभूमि के संबंध में संक्षिप्त टीप

न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक/988/री.कले./14 सागर दिनांक 12.02.2014 से बीना संयुक्त सिचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वन भूमि के बदले वन विभाग को 1190.56 हे. भूमि हस्तांतरित की गयी थी, परियोजना अंतर्गत स्वीकृत वनभूमि में से कम वनभूमि उपयोग में लाये जाने के फलस्वरूप बण्डा परियोजना में प्रभावित वनभूमि रकवा 505.50 हे. के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु न्यायालय कलेक्टर जिला सागर द्वारा निम्नानुसार भूमियां हस्तांतरित की गयी हैं :-

हस्तांतरण आदेश क्रमांक व दिनांक	तहसील	ग्राम	ख.नं.	हस्तांतरित रकवा (हे. में)	जल संसाधन विभाग सागर द्वारा वृक्षारोपण हेतु जमा की गयी राशि (रु.में)	योजना में जारी तकनीकी स्वीकृति का क्रमांक व दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
07अ/19(3) वर्ष 2019-20 दिनांक 29.05.2019	देवरी	मुडेरी	54	104.05	70312050.00	511/27-09-2014	अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (केम्पा) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/केम्पा/369-III/374 दिनांक 23.04.2019 एवं मुख्य वन संरक्षक सागर वन वृत्त सागर का पत्र क्रमांक/व्यय/2479 दिनांक 27.04.2019 से वैकल्पिक वृक्षारोपण की क्षेत्र तैयारी का कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिये गये।
28अ/19(3) वर्ष 2019-20 दिनांक 03.06.2019	मालथौन	चनारी	161	11.29	11367000.00	512/27-09-2014	
08अ/19(3) वर्ष 2019-20 दिनांक 29.05.2019	बण्डा	सगोरिया	562	110.74	77787000.00	--"	
09अ/19(3) वर्ष 2019-20 दिनांक 29.05.2019	बण्डा	कोटरा	663/2	40.00	31594050.00	--"	
06अ/19(3) वर्ष 2019-20 दिनांक 29.05.2019	बण्डा	मलकपुर	04/2	53.50	42167250.00	--"	
05अ/19(3) वर्ष 2019-20 दिनांक 29.05.2019	बण्डा	मोकलमऊ	22	24.62	21751200.00	--"	
			23	41.78	32782050.00	--"	
04अ/19(3) वर्ष 2019-20 दिनांक 29.05.2019	बण्डा	जवारा	40	24.40	20026035.00	--"	
			35/2	47.93	32894100.00	--"	
27अ/19(3) वर्ष 2019-20 दिनांक 03.06.2019	मालथौन	मालथौन	597/1/2	13.76	18108846.00	--"	
10अ/19(3) वर्ष 2019-20 दिनांक 29.05.2019	बण्डा	पिथौली	01/2	50.00	37014975.00	--"	
11अ/19(3) वर्ष 2019-20 दिनांक 29.05.2019	बण्डा	बगपुरा	364/2	50.00	38034225.00	--"	
		योग :-		572.07	433838781.00		

प्रस्ताव में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-3/97/2018/10-11/12/379 दिनांक 05.02.2019 से जारी निर्देशों में उक्त भूमि पर क्षतिपूर्ति वनीकरण करने के लिये जल संसाधन विभाग से राशि प्राप्त हो गयी है, बण्डा वृहद सिचाई परियोजना के लिये क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना नहीं बनायी जाना है।

17.7.19
वन मंडल अधिकारी
उत्तर सागर वन मंडल